



UPMZ010079992023

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी- (Shri Kamla Pati-I), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06168

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-3548 सन् 2023

अनुराग

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

वाद संख्या-551 / 2023

मु0अ0सं0-112 सन् 2022

धारा-136, 137 विद्युत अधिनियम

थाना-सिखेडा, जिला मुजफ्फरनगर।

प्रार्थी/अभियुक्त अनुराग पुत्र प्रवेश की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जमानत हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसका मा0 न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसने कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा0 उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। वादी मुकदमा की ओर से दर्ज एफ0आई0आर0 अज्ञात में है। उसके विरुद्ध नामजद एफ0आई0आर0 नहीं है। विवेचना अधिकारी ने गांव की पार्टीबाजी के आधार पर सह-अभियुक्त अर्जुन के कहने पर रंजिशन झूठा फंसाया है। उसने वादी मुकदमा के ट्रांसफार्मर को खुरदबुर्द करके नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। वह मा0 न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा किया गया। कथन किया गया कि अपराध संज्ञेय व अजमानतीय है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि दिनांक 25.12.2021 को सुबह 9 बजे वादी मुकदमा जब अपने खेतों पर गया तो देखा कि ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा है। किसी ने उसे खुरदबुर्द कर दिया है। घटना की मौखिक सूचना अधिकारियों को दी गयी।

आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा के खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को खुरदबुर्द करने का आरोप है। मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 08.08.2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है। तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त को 30,000/- रुपये की दो जमानतें एवं इतनी ही धनराशि के निजी बन्धपत्र, दाखिल करने पर रिहा किया जाये।

दिनांक-11.08.2023

(कमलापति-I),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-4, मुजफ्फरनगर।